"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2016— फाल्गुन 20, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2015. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 170-ग के उप नियम (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"(दो) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 760 मि. मी. से कम तथा 900 मि. मी. से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि जहां दो बर्थ संयुक्त रूप से हों तो बर्थ की चौड़ाई 1100 मि. मी. से कम तथा 1200 मि. मी. से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू नहीं होंगे.

(तीन) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (ग) के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाहन के बर्थ (शयन) की चौड़ाई, उस वाहन के अस्तित्व में रहने तक अथवा ऐसे वाहन के ढांचे के पुनर्संरचना या पुन: निर्माण तक, जो भी पहले हो, परिवर्तनीय नहीं होगी."

2. नियम 170-घ के उप-नियम (एक) के खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-

"(ग) प्रत्येक बर्थ की चौड़ाई 760 मि. मी. से कम तथा 900 मि. मी. से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि जहां दो बर्थ संयुक्त रूप से हों तो बर्थ की चौड़ाई 1100 मि. मी. से कम तथा 1200 मि. मी. से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि नियम 170-ग के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना विभाजक के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू नहीं होंगे.

(घ) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खण्ड (ग) के आरंभ होने की तारीख से वर्तमान वाहन के बर्थ (शयन) की चौड़ाई, उस वाहन के अस्तित्व में रहने तक अथवा ऐसे वाहन के ढांचे के पुनर्संरचना या पुन: निर्माण तक, जो भी पहले हो, परिवर्तनीय नहीं होगी."

No. F 5-1/viii-Trans/2015. — In exercise of the power conferred by Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published, as required by Sub-section (1) of Section 212, of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-clause (ii) and (iii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 170-C the following shall be substituted, namely :-

"(ii) The width of each berth shall not be less than 760 m. m. and more than 900 m. m.

Provided that where two berths are joined, the width of the berth shall not be less than 1100 m. m. and more than 1200 m. m.

Provided further that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.

(iii) Notwithstanding anything contained in this rule, from the date of commencement of clause (C) the width of a berth in the existing vehicle shall not be changed till the life of such vehicle or till the reconstructions or renovations of the body of such vehicle, whichever is earlier."

2. For clause (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 170-D the following shall be substituted, namely :-

"(C) The width of each berth shall not be less than 760 m. m. and more than 900 m. m.

Provided that where two berths are joined, the width shall not be less than 1100 m. m. and more than 1200 m. m.

Provided further that measurement specified for structural partition mentioned in sub-rule (2) of rule 170-C shall not be applicable.

(iii) Notwithstanding anything contained in this rule, from the date of commencement of clause (C) the width of a berth in the existing vehicle shall not be changed till the life of such vehicle or till the reconstructions or renovations of the body of such vehicle, whichever is earlier."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.